

अनुमति की शर्तें ।

- (i) खाल भूदान/प्लान के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करेगी है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (पंचायत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आदेशक निगम को सूचित करेंगे ।
- (iv) स्वीकृत शर्तों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

खाल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजन के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 738 दिनांक 23/10/2020

श्रीमती अंजली यादव शर्मा पं.नं. 189 ग्राम सोमावती की दाकी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 33458/- जमा

जारीये रसीद संख्या 9069/330, 331

दिनांक 23/10/2020 को जमा करा दी है ।

26/10/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

श्रीमती

26/10/20

935/388856

जी + 1
आवासीय

प.नं. = 189 ग्राम सोमावती की दाकी
खमरा संख्या 738/57 वर्तमान नगर निगम